राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2239/2025

रितु शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चन्द शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर सब सेन्टर, दव सम, जिला जैसलमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बीसीएमओ, थानागाजी, अलवर में किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 29.11.2024 के द्वारा हुई। अपीलार्थी वर्तमान में परिवीक्षाधीन है, जो अभी तक परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ है। आलोच्य आदेश के बिंदु संख्या–2 में यह स्पष्ट है कि यदि कोई कार्मिक परिवीक्षा काल में हो तो उस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। अपीलार्थी परिवीक्षा काल में होते हुये भी उसका स्थानांतरण किया गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के बिंदु संख्या 2 को निरस्त किया जावे और आलोच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक रिट याचिकाओं में यह अभिनिर्धारित किया है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी का नियमानुसार स्थानांतरण किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कर्मचारी सेवा नियमों के तहत चयनित नियमित कार्मिक होता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण उप केन्द्र, दव सम, जिला जैसलमेर से बीसीएमओ, थानागाजी अलवर में किया गया है, परंतु आलोच्य आदेश में सेवा नियमों के विरूद्ध यह शर्त जोडी गई है कि सम्बन्धित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उसे प्रभावी नहीं करते हुये आदेश जारी किये हैं, जिसके कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण होने के बावजूद उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी एएनएम के पद पर वर्ष 2024 से परिवीक्षाधीन (Probationer) है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7(30) में वर्णित परिवीक्षाधीन कार्मिक की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार अपीलार्थी सभी प्रयोजनार्थ सेवा का सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक कार्मिक अन्य कार्मिकों की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण सेवा भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। परिवीक्षाधीन कार्मिक की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उससे कोई अलग प्रकार का व्यवहार करना या विभेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया जावे।

6. उक्त अपील उक्त निर्देशों के साथ ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष